



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2008/22.12.2008

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 27.01.2009

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से 'मध्यप्रदेश शासन पशु पालन विभाग' के अंतर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ' के अस्थायी पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

स. क्र.	पद का नाम/ विभाग	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				वेतनमान
			अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ म.प्र. शासन पशुपालन विभाग	343	23	99	217	4	7	30	65	1	रु. 8000-275-13500/-

टीप- (i) केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित पद के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

(ii) भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

दो- शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता। उपयुक्त सभी पद अस्थायी हैं।

तीन- चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जायेगी।

चार- पद का विवरण-

- (अ) पद का नाम- पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
- (ब) विभाग का नाम- मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग
- (स) श्रेणी- राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) वेतनमान- रुपये 8000-275-13500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (घ) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता- भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का 52) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।

टीप- आवेदक के पास आवश्यक अर्हताएं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए आवेदन करने की तिथि के बाद किसी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

पाँच- उम्मीदवार नियुक्ति के लिये तभी पात्र होगा, जब वह शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवाओं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 में दिनांक 10.3.2000 को दिए गए संशोधन के अनुसार-

- (अ) पुरुष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष के पूर्व विवाहित नहीं हो।
- (ब) 26 जनवरी, 2001 के बाद जन्म ली हुई उम्मीदवारों की तीसरी संतान न हो।

छ:- आयु सीमा- न्यूनतम 21 की आयु सीमा पूर्ण कर ली हो परन्तु 38 वर्ष पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 1.1.2009 होगी। आयु सीमा में दी गई अन्य छूट के लिये परिशिष्ट-एक देखें। मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चार्ज या कॉन्ट्रैक्ट पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारी (महिला कर्मचारी भी) के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परन्तु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट में से अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

सात- महत्त्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। पद की अर्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष है।

आठ- नौ- प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित करें।

दस- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें तथा साथ में 11.5x27.5 से.मी. आकार के परिवर्तित पता लिखे तथा पर्याप्त डाक टिकट लगे दो लिफाफे भी साथ में भेजें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर चयन साक्षात्कार में प्रार्थकों के आधार होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम है और इस अर्हता के होने मात्र से ही कोई आवेदक साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का हकदार नहीं हो जाता। यदि विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए इन सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षा उच्चतम अर्हताओं के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा द्वारा अथवा आयोग द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया द्वारा आवेदकों की संख्या को यथाचित सीमा तक कम कर सकेगा। यदि आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा कराई जायेगी तो उससे संबंधित समस्त जानकारी पृथक से रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में यथा समय सूचित की जायेगी।

बारह- आवेदक हेतु विस्तृत जानकारी के लिए-

- (i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट-एक
- (ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारी हेतु परिशिष्ट-दो।

परिशिष्ट - 1

(एक)- उच्चतम आयु सीमा में छूटें-

1. भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
3. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

टीप:- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है।)

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-14/93/3/1, दिनांक 10.5.1993 अनुसार राज्य के निगम, मंडल, परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है।
5. ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्याया आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवानुत्त किया गया हो।

6. विस्थापित स्वर्णकारों को अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामलों में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3345-4005 सोलह, दिनांक 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हैं, 38 वर्ष तक छूट दी जायेगी।

7. ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निकले यह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(दो)- प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट-

- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप- (1) परिशिष्ट-एक (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा विद्वु क्रमांक (एक) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) परिशिष्ट-एक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट- उपरोक्त एक (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

सचिव

परिशिष्ट - 2

आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

आवेदन-पत्र-

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद हेतु रोजगार और निर्माण के दिनांक 22.12.2008 के अंक में विज्ञापन के साथ कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र प्रकाशित किया जायेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदन क्रमांक अंकित है। इस मूल आवेदन पत्र पर ही आवेदन करें। आवेदन पत्र की छाया प्रति/टिकट प्रति मान्य नहीं होगी। कृपया सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के साथ यह कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र भी आपको उपलब्ध हो। आवेदन पत्र निर्देशानुसार ही भरें।

आवेदन पत्र भरने के संबंध में मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. यह आवेदन पत्र 2 पन्ने अर्थात् चार पृष्ठों का है। पृष्ठ क्रमांक दो खाली है आवेदक उस पर कुछ भी न लिखें अन्याया आवेदन पत्र स्केन नहीं होगा।
2. यह आवेदन पत्र केवल काली स्याही वाले बाल पेन से ही भरें।
3. कोई भी कालम खाली न छोड़ें। अधूरा भरा फार्म आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जायेगा। प्रविष्टियाँ सफाई से भरें, काट-पीट न करें।
4. आवेदन पत्र को दो ही मोड़ दें उसे गीला या गंदा न करें।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

5. प्रथम पृष्ठ पर फोटो निर्धारित साईज की चिपकाएँ। स्टैपल या पिन न करें। फोटो के पीछे आवेदक अपना नाम तथा आवेदन-पत्र क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करें।
6. फोटो के समक्ष दिये बाक्स में हस्ताक्षर अनिवार्यतः करें।
7. घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में करें। हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
8. पृष्ठ तीन पर भी फोटो अनिवार्यतः लगायें। बाक्स में हस्ताक्षर करें। फोटो के पीछे आवेदक अपना नाम तथा आवेदन-पत्र क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करें।
9. फोटो पासपोर्ट आकार का सामने से खींचा हुआ जिसमें दोनों कान दिखाई देते हों होना चाहिए। फोटोग्राफ की फोटोस्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी।
10. केवल पृष्ठ चार पर ही मूल बैंक ड्राफ्ट के साथ सभी प्रमाण-पत्र स्टैपल करें अन्य कहीं नहीं, अन्यथा आपका आवेदन पत्र स्कैन नहीं हो सकेगा।
11. समस्त जानकारी सही व स्पष्ट शब्दों में दें। जानकारी गलत पाये जाने पर आयोग द्वारा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
12. संख्या लिखने में अंतर्राष्ट्रीय अंकों यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें।
13. प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या निर्धारित स्थान पर अवश्य लिखें साथ ही उसके नीचे हस्ताक्षर करना न भूलें।
14. आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।
15. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि, सभी अभिलेखों अर्थात् उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न अभिलेखों पर उनके द्वारा लिए गये हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
16. **पहचान चिन्ह:-** उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के आवेदक की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
17. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक तथा पूर्ण पता लिखें।

अन्य निर्देश :-

1. एक लिफाफे में एक ही आवेदन-पत्र रखें।
2. आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदक अपना पूरा नाम तथा पता जैसा उसके आवेदन पत्र में लिखा है सुस्पष्ट लिखें।
3. स्वयं का पता लिखा छः रुपये का टिकिट लगा एक पोस्टकार्ड लिफाफे में आवेदन पत्र के साथ अवश्य रख दें। इसके अभाव में आवेदन-पत्र प्राप्ति की सूचना आयोग द्वारा देना संभव नहीं होगा।
4. मूल आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अवश्य भेजी जानी चाहिए। उनके अभाव में आवेदन-पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और उसके संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा। प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के पृष्ठ क्रमांक-चार के साथ ही स्टैपल करें।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सैमिस्टर की अंकसूचियाँ।

जाति के प्रमाण पत्र:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत हैं अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्राथमिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय जाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति का स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा इस संबंध में आवेदक का कोई चयनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम का लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाण हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् श्रीमिलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें।)**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक) (3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परिस्थिका तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक) (4) से (8) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो) (1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो) (2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो) (3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें

1. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क- 1. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं, के लिये **आवेदन शुल्क रु. 30/-** देय होंगे। 2. शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए **आवेदन शुल्क रु. 60/-** देय होगा।

बैंक ड्राफ्ट- उपरोक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट

“सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर” के नाम से बनाकर भेजा जाये। यह बैंक ड्राफ्ट यथासंभव भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा (जी.पी.ओ.) इंदौर पर देय होना चाहिए। आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, पता तथा आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

अत्यंत आवश्यक- बैंक ड्राफ्ट भेजने के पहले उसका भली-भाँति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त माना जायेगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट नहीं लौटाये जायेंगे इसलिए आवेदकों के लिये सुझाव है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाय उसके काफी पहले आवेदन पत्र भेजना उनके हित में होगा।

टीप- आयोग को प्राप्त आवेदन शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापस किया जा सकेगा-

- (i) यदि आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये, अथवा
- (ii) यदि किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि-

आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27.01.2009 है। अंतिम तिथि को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुँचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। आयोग कार्यालय के काउंटर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10:30 से सायं 5:30 बजे तक) में प्रत्येक कार्य दिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन-पत्र जमा कराये जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी। डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र अंतिम तिथि को सायं 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुये माने जायेंगे। डाक/कोरियर के कारण होने वाले विलंब/गुम होने/कटने फटने अथवा नष्ट होने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा। आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जायेंगे।

आवेदन-पत्र भेजने का पता-

सचिव

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र

इंदौर- 452001.

नियोक्ता की अनापत्ति-

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हों या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के माध्यम से भेजा हो और वह आयोग में देर से पहुँचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा भले ही वह नियोक्ता को अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया हो जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंध अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अनुशासनिक निर्देश-

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिस आयोग में निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा/साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
 2. पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
 3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) कराया हो/किया हो, या
 4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
 5. चयन में किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
 6. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
 7. साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।
- उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों के विरुद्ध अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी -

(क) आयोग द्वारा चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से अथवा विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-

- (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - (ii) राज्य शासन द्वारा या/तथा उनके अधीन नियोजन से।
- (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। परंतु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शक्ति तब तक अर्जोर्पित नहीं की जायेगी जब तक कि-
- (i) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 - (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

अर्नहताएँ- ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

यात्रा व्यय का भुगतान-

- (अ) लिखित परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदक, जो किसी सेवा में न हों, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान (मध्यप्रदेश की सीमा तक), वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भर कर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के स्वयं के अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जाएगा।
- (ब) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त वर्ग के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

सचिव